

विषय:- हरियाणा राज-भवन में अमले की नियुक्ति बारे।

क्या हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे?

2. हरियाणा राज भवन में एक अधीक्षक के पद को हरियाणा सिविल सचिवालय कार्यरत अधीक्षकों में से चयन प्रक्रिया द्वारा पोस्टिंग आधार पर भरा जाना प्रस्तावित हैं। नियुक्त किये जाने वाले चयनित अधीक्षक को उपलब्धता अनुसार मुफ्त आवास सुविधा और उसके मूल वेतन के 6¼ प्रतिशत के बराबर मुफ्त बिजली पानी की सुविधा दी जायेगी तथा चयनित अधिकारी हरियाणा राज भवन में समन्वय के पात्र नहीं होंगे व उनका लियन उनके पैतृक विभाग में ही रहेगा। अतः हरियाणा सिविल सचिवालय के वे अधीक्षक जो हरियाणा राजभवन में कार्य करने/नियुक्त होने के इच्छुक हो, अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से दिनांक 10.05.2023 तक स्थापना-1 शाखा में अवश्य भेज दे।

3. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।



अधीक्षक स्थापना-1

कृते: विशेष सचिव, हरियाणा सरकार
सचिवालय स्थापना।

सेवा में,

✓ हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी अधीक्षक।

अशा: क्रमांक 3/5/2001-1स्था-1,

दिनांक 03.05.2023

पृष्ठ क्रमांक 3/5/2001-1स्था-1,

दिनांक 03.05.2023

एक -2 प्रति निम्नलिखित की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली।
2. आयुक्त एवं सचिव, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग।
3. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।
4. निदेशक, अल्प बचतें, हरियाणा।
5. कार्यालय, लोकायुक्त हरियाणा।
6. जांच अधिकारी चौकसी, हरियाणा।



अधीक्षक स्थापना-1

कृते: विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
सचिवालय स्थापना।

अशा: क्रमांक 3/5/2001-1स्था-1,

दिनांक 03.05.2023

एक प्रति अवर सचिव, सचिव, राज्यपाल, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक HRB-GA-1(182)-1984/3193, दिनांक 21.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।



अधीक्षक स्थापना-1

कृते: विशेष सचिव, हरियाणा सरकार
सचिवालय स्थापना।